

बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग

सं०सं०-6/निदेशसं०एच०टी०एच०पी०-01-01/17-32

प्रेषक,

प्रेम सिंह मीणा,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार
वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना।

पटना, दिनांक- 19.06.17

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में भारत सरकार से विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 में शत प्रतिशत अनुदान के रूप में प्राप्त योजनावार स्वीकृत राशि (1) कृषि प्रक्षेत्र के अन्तर्गत Dairy development Co-Operative based dairy development including processing and chilling infrastructure to ensure better and reasonable price to tribal household : Two CB cows with straw bamboo shed के अन्तर्गत 160.00 लाख (2) कौशल विकास योजना के तहत महिलाओं के लिए Beautician and Skin Care Training के लिए 133.18 लाख की स्वीकृति के विरुद्ध भारत सरकार से प्राप्त एवं विमुक्त राशि में से (1) कृषि प्रक्षेत्र के अन्तर्गत Dairy development Co-Operative based dairy development including processing and chilling infrastructure to ensure better and reasonable price to tribal household : Two CB cows with straw bamboo shed के अन्तर्गत 160.00 लाख तथा कौशल विकास योजना के तहत महिलाओं के लिए Beautician and Skin Care Training के लिए 83.16 लाख अर्थात् कुल 243.16 लाख (दो करोड़ तेतालीस लाख सोलह हजार रु०) मात्र की संलग्न विवरणी के अनुसार स्वीकृति।

आदेश- स्वीकृत।

2- अनु० जनजाति के लिए भारत व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए उपबंधित राशि से मांग सं०-44 के अन्तर्गत आय-व्यय शीर्ष 2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण उपमुख्य शीर्ष -02- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-लघु शीर्ष-102-आर्थिक विकास-उपशीर्ष-0202-अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता-पी०एफ०एम०एस० कोड-TSP 1-विपत्र कोड-44-2225021020202- विषय शीर्ष 0202.33.01-सब्सिडी मद में कुल ₹243.16 लाख विकलनीय होगा।

3- इस योजना के लिए निकासी पदाधिकारी संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे। इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी संबंधित जिला पदाधिकारी होंगे।

4- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राशि का नियमानुसार व्यय करेंगे तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

5. वित्तीय वर्ष 2016-17 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत योजनाओं में से मंत्रालय के पत्रांक-11015/4(4)/2016-Grants- दिनांक-22.02.2017 द्वारा स्वीकृत 1423.76 लाख के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2016-17 में विमुक्त राशि 743.74 लाख में से वित्तीय वर्ष 2017-18 में ₹ 243.16 लाख की स्वीकृति एवं व्यय की स्वीकृति दी जा रही है।

6- राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक-2561 दिनांक-17.04.1998 तथा समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में की जायेगी।

7- केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में राशि की निकासी एवं व्यय किया जायगा। विषयांकित योजना के अन्तर्गत राशि का व्यय किया जायेगा

✓


तथा किसी भी स्थिति में राशि का विचलन नहीं किया जायेगा। नाबार्ड के पत्र सं०-CPD/892/PLP-17-18/2016-17 दिनांक 21.06.2016 में निहित निदेश के आलोक में राशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।
8- सभी संबंधित जिला पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे की विषयांकित योजना के आलोक में राशि का व्यय किया जाय, साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगे कि ली गयी योजनाओं एवं लाभान्वितों का डूप्लीकेशन न हो।

9-स्वीकृति प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति पृ० -13/टि० पर प्राप्त है।


10-संबंधित पदाधिकारियों को इस राशि की स्वीकृति की सूचना दी जा रही है।

11-कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दिया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।



(प्रेम सिंह मीणा)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक -6/निदेशक-टी.एस.टी.ए.सी.पी.०-०१-०१/१७-३१ पटना, दिनांक-19.06.17
प्रतिलिपि :- संबंधित कोषागार पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



सरकार के सचिव।

ज्ञापांक 6/निदेशक-टी.एस.टी.ए.सी.पी.०-०१-०१/१७-३१ पटना, दिनांक-19.06.17

प्रतिलिपि :- वित्त विभाग, बजट शाखा/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/ निदेशक, अनु०जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उपविकास आयुक्त/उप निदेशक(मु०)/ संबंधित प्रमंडलीय उपनिदेशक,कल्याण/संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी/अवर सचिव/सहायक निदेशक/लेखा शाखा/बजट शाखा/सांख्यिकी कोषांग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-6(डी०) /8(डी०) अनु०जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के सचिव।

ज्ञापांक 6/निदेशक-टी.एस.टी.ए.सी.पी.०-०१-०१/१७-३१ पटना, दिनांक-19.06.17
प्रतिलिपि :-अवर सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को उनके पत्रांक-11015/4(4)6/2016-Grants दिनांक-22.2.17 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।


सरकार के सचिव।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में भारत सरकार से विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों के बहुमुखी विकास के लिए शत प्रतिशत अनुदान के रूप में प्राप्त स्वीकृत राशि की विवरणी

(रु० लाख में)

क्रमांक	जिला का नाम	2011 जनगणना के अनुसार जिलावार अनु० जनजातियों की जनसंख्या	स्वीकृत युनिट		स्वीकृत राशि		कुल राशि (6+7)
			(1) कृषि प्रक्षेत्र के अन्तर्गत Dairy development Co-Operative based dairy development including processing and chilling infrastructure to ensure better and reasonable price to tribal household : Two CB cows with straw bamboo shed	(2) कौशल विकास योजना के तहत महिलाओं के लिए Beautician and Skin Care Training	(1) कृषि प्रक्षेत्र के अन्तर्गत Dairy development Co-Operative based dairy development including processing and chilling infrastructure to ensure better and reasonable price to tribal household : Two CB cows with straw bamboo shed स्वीकृत राशि 1.60 लाख per Unit	(2) कौशल विकास योजना के तहत महिलाओं के लिए Beautician and Skin Care Training स्वीकृत राशि 2.47 लाख per Unit (one unit 30 students/ 3 months)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सारण	36786	3	1	4.80	2.47	7.27
2	गोपालगंज	60807	5	1	8.00	2.47	10.47
3	कैमूर	57981	5	1	8.00	2.47	10.47
4	जमुई	78793	6	2	9.60	4.94	14.54
5	रोहतास	31650	2	1	3.20	2.47	5.67
6	बॉका	90432	7	1	11.20	2.47	13.67
7	भागलपुर	67180	5	2	8.00	4.94	12.94
8	सिवान	87000	7	2	11.20	4.94	16.14
9	बक्सर	26824	2	1	3.20	2.47	5.67
10	पूर्णियां	139490	11	4	17.60	9.88	27.48
11	कटिहार	179971	14	5	22.40	12.35	34.75
12	किशनगंज	64224	5	1	8.00	2.47	10.47
13	अररिया	38848	3	1	4.80	2.47	7.27
14	भोजपुर	13977	1	1	1.60	2.47	4.07
15	गया	3098	1	1	1.60	2.47	4.07
16	नवादा	2045	1	1	1.60	2.47	4.07
17	प० चम्पारण	250046	20	6	32.00	16.47	48.47
18	मुंगेर	21404	2	1	3.20	2.47	5.67
	कुल योग	1250556	100	33	160.00	83.16	243.16

(दो करोड़ तेतालीस लाख सोलह हजार रुपये मात्र)

[Signature]
सचिव

अनु० जाति एवं अनु० जनजाति
कल्याण विभाग

ज्ञापांक- 32 दिनांक 19.06.17 का अनुलग्नक